[श्री शरीफ उद्दीन शारिक]

आनरेबिल मेम्बर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज को दूर करने में कामयाब हों जायें तो हमें यह भी देखना है कि अपनी पार्टी के प्रोग्राम को इस तरीके से ढालें कि हम हर जगह पर ऐसे फसादियों को अपने रैंक एंड फाइल में जगह न दें। हम लोगों को अच्छी तरह से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें सिर्फ कुर्सियों के लिए नहीं, हमें हिन्दुस्तान की अजमत के लिए लड़ना होगा, हमें महात्मा गांधी के उसूलों को अजीम रखने के लिए लड़ना होगा। तब हिन्दुस्तान रहेगा। हिन्दुस्तान इस वसीह मुल्क का नाम नहीं है। जहां तक हम काश्मीर के लोगों का सवाल है हम हिन्दुस्तान की अजमत को इस लिए नहीं मानते कि यह बहुत बड़ा मुल्क है, इस में 70 करोड़ लोग हैं, हम इस लिए मानते हैं कि हम ने गांधी जैसे फरिश्ते को देखा है, हम ने गांधी के अजीम उसूलों को देखा है और हम ने यकीन किया कि यह ऐसा मुल्क है जहां महावीर है, जहां कृष्ण है, जहां ख्वाजा मोहिउदिन चिश्ती है, जहां निजामुद्दिन औलिया है, जहां सभी लोग छोटे-बड़े, पढ़े हुए, अनपढ़, भाइबन्दी से रहेंगे, अमन और शान्ति से रहेंगे। मेरी प्रार्थना, मेरी अपील तमाम दोस्तों से है, अपोजीशन के दोस्तों से भी अपील है कि इस कौमी मसले को हल करने के लिए और इस किस्म के मसायल को हल करने के लिए हमें वजीरेआजम के हाथ मजबूत करने चाहिए और उन पर जोर डालना चाहिए जिस से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाये। संगीन और सख्त इकदाम ला कर इन बातों को रोका जाये। काश्मीर में यह क्यों नहीं होते। वहां भी हरिजन हैं, वहां भी छोटी जाति के लोग हैं, वहां भी यह तबके हैं लेकिन वहां यह झगड़े नहीं होते इसलिये कि वहां एक ऐसे आदमी के हाथ में हुकूमत है कि जिस ने सही तौर पर गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस में कोई नातेदारी की बात नहीं होनी चाहिए। इस में शूट एट साइज की बात होनी चाहिए। ऐसा करने वालों की गर्दन तोड़ देनी चाहिए। जो हिन्दुस्तान की इज्जत को आंच पहुंचाते हों अपनी शैतानी हर्कतों से, जो हमारे देश की इमेज को खराब करते हों ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। वह लोग जिन से लड़ कर हम ने अपने मुल्क की आजादी हासिल की जब हम अपने भाई का गला काटते देखते हैं कि यहां एक भाई दूसरे भाई के मकान को आग लगा कर जिन्दा जलाता है तो क्या सोचते होंगे। इस के लिये तमाम एवाम को और तमाम सयासी पार्टियों को अपने-अपने ख्यालातों को छोड़ कर इंसानियत के नाते, दयानतदारी के नाते इस दोष के साथ निपटने के लिये आगे बढ़ना चाहिए और आपस में एतकाद करना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाणा: यह तो सुझाव है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now we will pass on to the next item, Special Mentions. Shri Bagaitkar.

Reference to the Reported inhuman living conditions prevailing in the Tihar Jail, Delhi.

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, जिस सवाल को आज मुझे आप की मार्फत सदन में रखना है वह हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तिहार जेल के अंदर जिस किस्म की धांधलियां, करप्शन और गड़बड़ियां हो रही हैं उन की तहकीकात के लिये एमीकस क्यूरी के नाते एक जज की नियुक्ति की थी। उन्होंने वहां जा कर जो सारी जांच पड़ताल की और उस के बाद जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उस से देश के अंदर जेलों में जो हजारों कैदी हैं उन की क्या दशा है उस पर रोशनी पड़ती है। उपसभापति जी, जेल के बारे में मैं एक अनुभवी व्यक्ति के नाते बोल रहा हूं। जेल से मेरा ताल्लुक कथा-कहानी का नहीं है। मेरे जीवन के दस साल कम से कम जेलों में गुजरे हैं और जो आखिरी दिन थे वह मैंने इमरजेंसी के दौरान 18 महीने जेलों में काटे हैं। देश की कई जेलों में मैं रह चुका हूं। पुरानी रियासतों की जेलें भी मैंने देखी हैं लेकिन तजुर्बा यह है कि ब्रिटिश जमाने में जो जेलों की स्थिति थी-- मैं 42 में साढे तीन साल जेल में रहा हूं

उस से भी बदतर स्थिति आज देश की अनेक जेलों में है। वहां के जो कैदी है उन की हालत बदतर है । जिस तरह से वहां के अफसर भ्रष्टाचार में फंस गये हैं और जिस तरह से वहां कैदियों की इज्जत नहीं रखी जाती उस सब से ऐसा हुआ है कि यह जेलों में रहने वाले लोग इंसानियत खो बैठे हैं और इसलिये यह बहुत जरूरी है कि वहां के हालात में सुधार किया जाये। आज के प्रश्नोत्तर का जो घंटा था उस में एक सवाल था जेल मैनुअल को लेकर, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ । कुछ दिन पहले बहस चली थी और प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि जेल में सुधार करने के लिये सरकार चाहती है कि कुछ कदम उठाये जायें । तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह कदम उठाने की बात अब जल्दी होनी चाहिए और खास कर तिहाड सेंट्रल जेल की जो कहानी अब सामने आयी है, क्या मैं सरकार से यह उम्मीद करूं कि उस की रोशनी में देश की सारी जेलों में सुधार करने के लिये वह कोई संकल्प करेगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Bagaitkar, please conclude now.

श्री सदाशिव बागाईतकर : उपसभाध्यक्ष जी, इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रीमान्, यू.एन.ओ. में जेलों में कुछ मीनिमम स्टैंडर्ड रखने के लिए रूल्स बनाने की बात है । मैं चाहता हूं कि यू.एन.ओ. ने जो यह कदम उठाया है आप बतायें कि सरकार ने उसको मान्यता दी है या नहीं । मान्यता नहीं दी है तो क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि मीनिमम स्टैंडर्ड का हम लोग पालन करेंगे तो जेल के अंदर जो स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है । *(Time bell rings)*

मैं दो तीन सवाल सामने रख कर खत्म करना चाहूंगा । एक बात तो यह है कि तिहाड़ जेल के अन्दर जो धांधलियां हैं उनमें एक बात सामने आई है कि इंटरनेशनल गैंग्स्टर्स जैसे चार्ल्स शोबराज के पास कहा जा चुका है कि इलेक्ट्रोनिक गजेट्स हैं, उसको टी.वी. सैट रूम में दिया गया है । वह और सुनील बत्रा जो बैंक राबरी के केस में सजा पा रहा है, ये दोनों मिल कर पूरी जेल को चला रहे हैं । जेल का सुपरिंटेंडेंट उसमें शामिल है । सारी मशीनरी उनके हाथ में है । यह जो जांच हुई है, यह बातें उसमें सामने आई हैं । तो मैं चाहूंगा कि क्या यह जरूरी है कि चार्ल्स शोबराज के साथ जो इंटरनेशनल गैंग्स्टर्स हैं ऐसे कैदियों को जिनका ग्रीस की सरकार ने एक्सटर्नमेंट मांगा है, वहां भी उनके खिलाफ केसेज हैं, ऐसे आदमियों को तिहाड़ जेल में रखना आवश्यक है ? ये राजनीतिक कैदियों को देश भर के कई जेलों में रख सकते हैं तो क्या इस तरह के गैंग्स्टर्स को दूसरी जेलों में रखने की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिससे उसके कांटेक्ट कम रहें ।

दूसरी बात यह है कि जेल का जो साधारण कैदी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास शोबराज का स्टेटस नहीं है जो अफसरों को रिश्वत नहीं दे सकते, ऐसे मामूली कैदियों को तंग किया जा रहा है । उनकी तरफ किसी किस्म की देखभाल नहीं होती है, उनके राशन की और अन्य चीजों की कोई देखभाल नहीं होती है।

आखीर में मैं इतना कहूंगा कि जेल की आबादी में 107 के अन्दर आने वाले एक तिहाई से ज्यादा लोग होते हैं। इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है और उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह बात भी रखना चाहता हूं कि चुनावों के दरमियान भी अकेले मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में 1700 लोगों को 107 के अन्दर गिरफ्तार करके रखा गया जिसमें राजनीतिक कैदी थे। 107 में जिनको गिरफ्तार किया जाता है और प्रोबेशन पर जो लोग होते हैं उनका ध्यान रखते हुए सरकार क्या तिहाड़ जेल के तथ्यों को सामने रखते हुए जेलों में सुधार करने की आवश्यकता पर ध्यान देकर तुरन्त उसके लिये कदम उठायेगी ताकि वहां रहने वाले हमारे देशवासी ठीक प्रकार से रह सकें और आप उसकी मदद कर सकें।

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

Reference to the aleged rape of a thirteen years old harijan girl at Chandigarh.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, दो दिन से एक स्टोरी सामने आ रही है। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद भी रेप के केसेज बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर हरिजन महिलाओं पर और माइनर गर्ल्स पर अधिक हो रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में जो घटना घटी दो जून को दिन-दहाड़े दिन में 8 बजे भोली नाम की 13 साल की लड़की अपनी मां के साथ एक मुहल्ले में स्कैवेंजिंग का काम कर रही थी। मेहतर की लड़की सड़क पर अपनी मां के साथ काम कर रही थी और सड़क के ऊपर कार में बैठे हुए तीन लड़के वहां आये, अपनी कार रोकी और जबरदस्ती उस लड़की को कार में बैठाकर ले गए। लड़की के मां-बाप पुलीस स्टेशन में रिपोर्ट लाज करने गये, पुलिस अफसर ने कह दिया कि इस थाने में रिपोर्ट लाज नहीं होगी, दूसरे थाने में जाओ। दूसरे थानों में मां-बाप गये। वहां कह दिया गया कि अभी काम बहुत ज्यादा है दूसरे दिन आना। यह हरिजन जो सबसे नीचे के स्तर के हैं और जो सफाई का काम करते हैं उनको दो थानों से इन्कार कर दिया गया और कह दिया गया कि तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। वे निराश होकर घर लौट गये। उनके लिये कोई चारा नहीं रह गया। इस लड़की को तीन लड़के ले गये कार में। दो दिन तक उन्होंने इधर-उधर छिपा कर रखा। उसे रेप किया गया। 13 साल की लड़की को 48 घन्टे तक अपने पास रखा और उसको रेप करने के बाद कहीं सड़क पर छोड़ दिया। उसकी मन: स्थिति को आप समझ सकते हैं किस हालत में वह होगी। इसके बाद जब वह घर पहुंची तो किसी तरह से मां-बाप ने उसे रखा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया। कोई उनका सहायक नहीं था इस कारण वह चुप-चाप बैठ गये। मैं अखबार वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको अखबार में साया किया। जब अखबार वालों ने इस स्टोरी को अखबार में साया किया तो तब पुलिस ने इस केस को रजिस्टर्ड किया। इस तरह की आपकी पुलिस है। यह व्यवहार है आपकी पुलिस का। यह स्थिति है जबकि हमारी सरकार रोज कहती है कि हम हरिजनों के लिये, कमजोर वर्गों के लिये, महिलाओं के लिये सब प्रयास कर रहे हैं। उनको सुरक्षा देने के लिये हम सब प्रयास कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस सम्बन्ध में कोई मुस्तकिल कदम सोच-विचार करके नहीं उठायेगी तब तक इस तरह की चीजें बढती जायेंगी। इसके लिये मैं सरकार को दोषी नहीं मानता, मैं इसके लिये सब को दोषी मानता हूं। सरकार को इसके लिये विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। विशेष कदम के तौर पर यहां ला मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे मामलों के लिये जहां माइनर गर्ल्स के ऊपर रेप होता है, मेहतर, हरिजनों और महिलाओं के साथ रेप होता है जब तक ऐसे केसेज के लिए फ्लोगिंग की व्यवस्था नहीं करते तब तक इनमें सुधार नहीं हो सकता। पाकिस्तान में भी इस तरह की व्यवस्था है। चाहे वहां डिक्टेटरशिप है लेकिन उन्होंने कानून में व्यवस्था कर रखी है। आप भी जब तक ऐसे जुर्म के लिये फ्लोगिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ये जुर्म बन्द होने वाले नहीं हैं। दूसरे यह भी होना चाहिए कि वे नौजवान भी इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने पैसे के बल पर चमकती हुई कारों में घूमते हैं और सड़क पर से इन गरीब लड़कियों को जबर्दस्ती उठा कर ले जाते हैं उनके लिये यह कानून होना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई सरकारी कांस्ट्रेक्ट, कोई सरकारी लाइसेंस, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have made your point. Please conclude now.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : एक मिनट और लूंगा। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। समाज में भी ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये। अभी जो इलेक्शन लॉ में प्रोविजन है कि इतने साल की सजा जिसको मिल जाएगी वह छ: साल तक इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता उसे छ: साल के लिये डिबार कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को जिनको ऐसे जुर्म

के लिये सजा मिले उनको आजीवन विधान सभाओं से और लोक सभा से डिबार किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर भी नहीं बनने देना चाहिए। जब तक आप इस प्रकार के सख्त कदम कानून में तबदीली करने के लिये नहीं उठाएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं रुक नहीं सकती हैं। इन घटनाओं को रोकने का इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह (उत्तर प्रदेश): अगर किसी गलत आदमी को कोड़े लग गये तो क्या होगा?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That shall be expunged. That will not go on record.

(*Shri Nageshwar Prasad Shahi continued to speak*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Nothing will go on record. Mr. Advani.

REFERENCE TO THE REPORT OF INQUIRY INTO THE LATHI CHARGE ON THE PROCESSION OF BLIND MEN IN NEW DELHI

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am happy that the Minister of State for Home Affairs is also here when I am raising this point.

This House will recall that when we were having our last session, an incident occurred in Delhi which had shocked the entire country. When the whole world was observing the Day of the Disabled, the blind persons of Delhi had organised a procession on which there was a lathi-charge. This House as well as the other House—Members of Parliament from all sections—had felt outraged at the episode and the Government had to apologize for it. And further, in deference to the wishes of the House, Government appointed an inquiry into the entire episode. I understand that the enquiry has been completed and the report has been submitted to the Government. I would have expected the Government on its own to come to the House and lay the report on the Table of the House. I have seen a brief report in the Press saying that the inquiry has held the police officers concerned guilty; they have been held responsible for the episode. I think there has been a Press report of the other kind also—of course this had nothing to do with the inquiry—in which it was suggested as if the blind persons themselves hit each other and the police was not to blame. This is the situation which, I think, needs to be cleared immediately. And this can be done only if the Government comes forth with a full report, and lays it on the Table. I demand that this should be done at the earliest. I would be happy if the Minister promises this right now and tells the House when the report will be placed on the Table of the House.

Thank you, Sir.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): I support the contention of Mr. Advani. The report must be placed before the House. I think this was promised by the Government at the time of the incident.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Do you want to say anything on this, Mr. Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): We have received the report. It is under study.

SHRI LAL K. ADVANI: Will you place it on the Table of the House? The Blind Persons' Association has been very much concerned about it. They feel very much agitated about it. Their Secretary has met me and asked me whether we can find out what the findings of the inquiry committee are, because he said that they are under blame.

***Expunged as ordered by the Chair.